

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी भागवती जेठवानी, आर0ए0एस0)

अपील संख्या : 238 / 2016

दायरा दिनांक : 14.06.2016

उनवान

गोविन्दसिंह अयु 50 वर्ष पुत्र श्री पृथ्वीराज, जाति राजपूत, निवासी बारां,
तहसील बारां, जिला बारांअपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां, जिला बारां

.....रेस्पोडेंट

बहस हेतु उपस्थिति :- अभिभाषक अपीलांट – श्री बृजराज सिंह
अभिभाषक रेस्पोडेंट – पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक : 04.12.2017

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय जिला कलेक्टर बारां के निर्णय दिनांक 14.03.2016 प्रकरण संख्या 168/2014 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार बारां के प्रकरण सं0 98/2014 द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.02.2014 से अपीलांट को ग्राम बारां, तहसील बारां की आराजी खसरा नम्बर 56 रकबा 0.20 हेक्टर, किस्म सिवायचक भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए 30 दिन के सिविल कारावास की सजा एवं 110/- रुपये शास्ति के दण्ड से दण्डित किया है । इस निर्णय के विरुद्ध अपीलांट की प्रथम अपील विद्वान जिला कलेक्टर, बारां द्वारा अपने निर्णय दिनांक 14.03.2016 से खारिज की गई है । इस निर्णय से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभय पक्षीय सुनी गई ।

अपीलांट ने दौराने बहस यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती

अतिक्रमी का कोई नोटिस नहीं दिया गया है । अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया गया है एवं समस्त पैनेल्टी राशि जमा करा दी है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । आर. बी. जे. 2007 (14) पेज 644 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार सजा माफ की है । अतः सिविल कारावास की सजा माफ करने की प्रार्थना की ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोपर तामील करवायी गयी थी। अपीलांट ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जाये ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया । पत्रावली में पटवार मण्डल बारां की मौका रिपोर्ट दिनांक 21.08.2017 की फोटो प्रति सलंगन है जिसके अनुसार मुताबिक रेकार्ड खसरा नम्बर 56 रकबा 0.34 हेक्टर आराजी में से 0.20 हेक्टर भूमि के सम्बन्ध में श्री गोविन्द सिंह पुत्र पृथ्वीराज सिंह, राजपूत निवासी बारां द्वारा अतिक्रमण था । मौके पर वर्तमान में फसल सोयाबीन बोया जाना पाया गया जिसे अप्रार्थी द्वारा ट्रेक्टर से हांक कर फसल नष्ट कर दी गई है तथा अप्रार्थी को भविष्य में उक्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया । अप्रार्थी द्वारा इस सन्दर्भ में भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया । मौके पर अतः कब्जा छोड़ने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा को माफ किया जाना उचित प्रतीत होता है । आर. बी. जे. 2007 (14) पेज 644 यहां चस्पा होती है ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। यदि अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा हटा लिया है तो सिविल कारावास में छूट दी जाती है। लेकिन बेदखली और शास्ति की सजा यथावत रहेगी और यदि अपीलांट द्वारा मौके से कब्जा नहीं हटाया गया है तो सिविल कारावास में दी गई छूट स्वतः ही समाप्त हो जायेगी, उसके लिए कोई पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

आदेश आज दिनांक 04.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा